



डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर

(A Govt. State University of Rajasthan, Established by an Act No. 6 of 2019)
कार्यालय (पत्राचार) - "रूसा भवन", डॉ. एस. राधाकृष्णन, शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302015

www.alujaipur.ac.in

E-mail: registrar@alujaipur.ac.in

क्रमांक प.6II(01)शैक्षणिक- II / अविधि / 2020-21 / 287-289

दिनांक: 08-04-2021

कुलसचिव,


1. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर,
2. कोटा विश्वविद्यालय, कोटा,
3. महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।

विषय:- निम्नांकित जारी सम्बद्धता आदेश 2020-21 में शुद्धि पत्र के क्रम में।

इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता आदेश दिनांक 06.04.2021 को जारी किये गये थे। निम्न आदेशों में बिन्दु सं. 02 में पूर्व विश्वविद्यालय के नाम अंकन में त्रुटि हो गई थी। अतः बिन्दु सं. 02 में वर्णित विश्वविद्यालय का नाम निम्नानुसार सही किया जाता है कृपया इसे संशोधित अनुरूप पढ़ा जावे।

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	जारी आदेश क्रमांक	बिन्दु सं. 02 में त्रुटिवश अंकित	कृपया बिन्दु सं. 02 में सही एवं संशोधित विवरण निम्नानुसार पढ़ा जावें।
1	राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर	प.6II(19)शैक्षणिक-II/अविधि/2020-21/195 दिनांक 06.04.2021	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
2	राजकीय विधि महाविद्यालय, बून्दी	प.6II(20)शैक्षणिक-II/अविधि/2020-21/138 दिनांक 06.04.2021	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
3	राजकीय विधि महाविद्यालय, भरतपुर	प.6II(28)शैक्षणिक-II/अविधि/2020-21/160 दिनांक 06.04.2021	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर
4	राजकीय विधि महाविद्यालय, धौलपुर	प.6II(27)शैक्षणिक-II/अविधि/2020-21/165 दिनांक 06.04.2021	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर
5	मास्टर सोमनाथ लॉ कॉलेज, भरतपुर	प.6II(26)शैक्षणिक-II/अविधि/2020-21/200 दिनांक 06.04.2021	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर

यह शुद्धि पत्र सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(राज नारायण शर्मा, आर.ए.एस.)
कुलसचिव



डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर

(A Govt. State University of Rajasthan, Established by an Act No. 6 of 2019)
कार्यालय (पत्राचार) – “रूसा भवन”, डॉ. एस. राधाकृष्णन, शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302015

www.alujaipur.ac.in

E-mail: registrar@alujaipur.ac.in

क्रमांक. प.6II(23)शैक्षणिक-II/अविदि/2020-21/ 160

दिनांक: 06.04.2021

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्याक 6) की धारा 4 की उपधारा (1) (2) (क) (ख) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 (एक सत्र) के लिये कुलपति महोदय की अनुमति से निम्न विधि महाविद्यालयों को ‘मानद संबद्धता’ (Deemed to be affiliated) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

1	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	निरीक्षण समिति द्वारा सम्बद्धता हेतु लगायी गई शर्तें
	Govt. Law College, Bharatpur	LL.B. Three Year intake 120 seats PGDLL 60 seats	Extension of provisional affiliation for 2018-19 to 2020-21 granted subject to the following conditions. <ul style="list-style-type: none">• BCI approval be submitted• Appointment of at least 06 lecturers in addition to Principal.7

1. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.15 (5) शिक्षा-4/2020 जयपुर दिनांक 22.07.2020 एवं दिनांक 04.02.2021 की अनुपालना में यह मानद संबद्धता (Deemed to be affiliated) दी जा रही है।
2. यह मानद संबद्धता (Deemed to be affiliated) पूर्व विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा जारी संबद्धता के आदेश क्रमांक/पत्रांक 786 दिनांक 06.08.2018 के अनुक्रम में उन्ही शर्तों व निरीक्षण, पर्यवेक्षण (observations) के आधार पर दी जा रही है। विधि महाविद्यालय दी गई अपनी सूचनाओं के लिए, पूर्णतया स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. सत्र 2021-22 की संबद्धता हेतु आवेदन के समय पूर्व विश्वविद्यालय के निरीक्षण समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करना आवश्यक है।
4. शिक्षा सत्र 2020-21 में विधि प्रथम वर्ष स्नातक एवं स्नातकोत्तर, एवं डिप्लोमा में प्रवेश लेने वाले छात्रों का नामांकन एवं परीक्षा कार्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा ही सम्पादित होना है।
5. सत्र 2019-20 तक प्रवेशित/नामांकित सभी छात्रों की परीक्षा आयोजन व उपाधि अंकतालिका इत्यादि प्रदान करने का उत्तरदायित्व पूर्व विश्वविद्यालय का ही होगा।
6. संस्था द्वारा स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क BCI/आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान को आवेदन करना होगा।
7. संस्था सत्र 2021-22 में निर्धारित अवधि में डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर नियमानुसार अस्थायी/स्थायी संबद्धता अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
8. आवश्यकतानुसार विधि विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण कभी भी किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी। जिस की कभी भी समीक्षा की जा सकेगी। समीक्षा पर इस विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम मान्य होगा।
9. आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं BCI द्वारा जारी निर्धारित सीट हेतु अनुमोदन पत्र इस कार्यालय के पत्र के दिनांक से 07 दिन में भिजवाने का श्रम करावें।
10. यह मानद सम्बद्धता डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जयपुर के अधिनियम, 2019 (संख्याक 6) की धारा 4 की उपधारा (1) व (2) (क) (ख) में वर्णित अनुरूप सत्र 2020-21 हेतु दी जा रही है।

(राज नारायण शर्मा, आर.ए.एस.)
कुलसचिव